न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 132/2019(126/2018)

GCMS NO. : 2018/00007

–:: प्रार्थीगण :–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण :–
1. लादुराम पुत्र शंकर जाति– बावरी, निवासी– ग्राम धनेरिया, तहसील जैतारण जिला पाली राज0।		1. भैरूलाल उर्फ भैराराम पुत्र बालुराम कौम–ढोली, निवासी– ग्राम कठमोर, हाल निवासी– झुझण्डा, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0। 2. तहसीलदार एवं उपंपजीयन अधिकारी जैतारण जिला– पाली, राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू: 14/05/2018

उपस्थित

1. श्री महेन्द्र प्रजापत बलुन्दा, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः 31/03/2021**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा धनेरिया, पटवार हल्का– केकिन्दड़ा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लाम्बिया, तहसील जैतारण, जिला पाली में सायल की खरीदसुदा एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 169 रकबा 09–08 बीघा किश्म बारानी दोयम आई हुई है, लेकिन उक्त कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गैरसायल का नाम गलत चला आ रहा है। जिसकी नकल चालू जमाबंदी व नक्शा ट्रेस इस आराजी की प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। इस आराजी को प्रार्थना पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। विवादित भूमि सायल ने गैरसायल से जरिये बेचान रजिस्ट्री दिनांक 03.05.1979 को खरीद की है जो उप पंजीयक कार्यालय जैतारण में दिनांक 03.05.1979 को दस्तावेज क्रम संख्या 253/79 पर बुक संख्या 1 जिल्द संख्या 19 के पृष्ठ संख्या 203 से 206 पर पंजीकृत किया गया है। जिसकी प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही है। सायल द्वारा उक्त आराजी को खरीद किया तब से उक्त भूमि सायल के निरन्तर शांति पूर्वक कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा सायल ही एक मात्र उक्त भूमि का रजिस्टर्ड मालिक व भौगता है। गैरसायल ने उक्त भूमि का बैचान करने के बाद अपने ससुराल झुझण्डा में बतौर घर जवाई के रहने लग गया तथा आज दिन तक गैरसायल ग्राम झुझण्डा में ही निवास कर रहा है। सायल द्वारा उक्त आराजी को खरीद किया तब सायल के साथ तत्कालीन धनेरिया सरपंच लक्ष्मणसिंह साथ आये थे तथा उन्होने इस बेचान रजिस्ट्री में साख भी डाली थी। लक्ष्मणसिंह जी ने तत्कालीन समय सायल को म्यूटेशन करवाने हेतु उक्त असल बेचान रजिस्ट्री मांग कर अपने पास रख ली तथा सायल को यह आश्वासित कर दिया कि मैने आपको म्यूटेशन नामान्तरण पटवारी से मिलकर करवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:34:12 IST
Reason: SelfAttested

दिया है। सायल ने भी तत्कालीन सरपंच पर विश्वास कर लिया तथा सायल ने असल बैचान रजिस्ट्री तत्कालीन सरपंच से वापस नही मांगी, तब से उक्त असल बैचान रजिस्ट्री तत्कालीन सरपंच के घर पर ही पड़ी रही। सायल अनपढ़ व अनुसूचित जाति का गरीब व्यक्ति है, जिसको कानूनी जानकारी नही थी। अब सायल द्वारा उक्त आराजी ऋण लेने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क दिनांक 13.04.2018 को किया, तब सायल को उक्त राजस्व रेकर्ड में अपना नाम इन्द्राज नही होने की प्रथम बार जानकारी हुई। सायल ने उसी दिन राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस की नकल पटवारी हल्का से प्राप्त की तथा पटवारी हल्का को राजस्व रेकर्ड में सायल का नाम इन्द्राज करने को कहा तो उन्होने स्पष्ट मना कर दिया तथा उन्होने असल बेचान रजिस्ट्री के आधार पर दावा करने की सलाह दी, तब सायल ने घर आकर बेचान रजिस्ट्री ढुंढी तो नही मिली, बाद में सायल ने तत्कालीन सरपंच के परिवार वालो से सम्पर्क कर रजिस्ट्री मांगी तो उन्होने ढुंढ कर असल बैचान रजिस्ट्री सायल को दी तथा सायल वक्त खरीद से उक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। इसलिए सायल उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जा रहा है। कि सायल द्वारा गैरसायल को बेचान बाबत् बयान सायल के पक्ष में करने का कहा तो गैरसायल ने आनाकानी की तथा गैरसायल के पुत्रगण ने कहा कि राजस्व रेकर्ड में हमारा नाम इन्द्राज है। इसलिए हम उक्त आराजी को कभी भी बेचने के अधिकार रखते है। इस प्रकार गैरसायल व उसके विधिक वारिसान उक्त आराजी का बाले बाले बेचान करने पर आमादा है तथा दिनांक 02.05.2018 को गैरसायल द्वारा सायल को ऐलानिया धमकी दी कि उक्त कृषि भूमि में हमारा नाम इन्द्राज है, इसलिए हम उक्त कृषि भूमि का वाले वाले बेचान करेंगे। यदि गैरसायल ऐसा दुष्कृत्य करने में सफल हो जावे तो सायल अपनी खरीदसुदा भूमि से हमेशा हमेशा के लिए वंचित हो जायेगा जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी । सायल गैरसायल के ऐसे अवैध कृत्यो का विरोध करेगा। जिससे विवाद बढेगा व मल्टीप्लीसिटी अ०फ प्रोसिडिंग होगी तब ऐसी विषम परिस्थितियों में सायल के पास अन्य कोई विकल्प नही रहने से यह प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायल के पेश है। समस्त तथ्यो परिस्थितियों व दस्तावेजात एवं मौके पर कब्जा व काश्त के आधार पर सायल का प्रथम दृष्टिया मामला बखुबी सायल के पक्ष में प्रमाणित है यदि गैरसायलान का राजस्व रेकर्ड में नाम होने का नाजायज फायदा लेकर किसी अजनबी क्रेता को बाले बाले दुबारा बेचान कर देते है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी कदर संभव नही हो सकेगी एवं होने वाली क्षति का मूल्यांकन रुपयों में नही आंका जा सकता है। इसलिए सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष में है। बखुबी प्रमाणित है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा शपथ पत्र व दस्तावेजात के पेश कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय बाबत् सायल के विरुद्ध गैरसायलान के इस आशय की जारी करावे कि राजस्व मौजा धनेरिया, पटवार हल्का- केकिन्दडा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लाम्बिया, तहसील जैतारण, जिला पाली में सायल की खरीदसुदा सुदा एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 169 रकबा 09-08 बीघा किश्म बारानी दोयम की भूमि में सायल काबिज है तथा काबिज होकर काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:24:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (

करे या करावे एवं काश्त मुतालिक तमाम कार्य करे या करावे तो उसमें गैरसायल संख्या एक व उनके अधिकृत प्रतिनिधि, पारिवारिक सदस्य, कारीगर, मजदूर, नौकर, चाकर, हाली एजेन्ट किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप व दखलंदाजी नही करे तथा गैरसायलान राजस्व रेकर्ड में अपने नाम होने का नाजायज फायदा लेते हुए किसी अजनबी क्रेता को उक्त आराजी को जरिये रहन, बेचान, बख्शीश, वसीयत व अन्य हस्तान्तरण नही करे तथा राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे ऐसा करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के गैरसायलान को वाद पत्र के अंतिम निर्णय तक रोका जावे इस आशय का अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय बहक सायल विरूद्ध गैरसायलान के सादिर फरमावे।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ जो सा0मि0 है। वकील अप्रार्थी को जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु अनेकानेक एवं अन्तिम से अन्तिम अवसर दिये गये। वकील अप्रार्थी जवाब प्रार्थना पत्र पेश करनें में विफल रहने से जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई।

बहस वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई और उस पर मनन किया। हमनें पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। हम प्रकरण को अस्थाई व्यादेश से संबंधित निम्नलिखित तीन सारभूत बिन्दुओं के आधार पर विवेचन करते हुए निर्णीत करना समुचित समझते हैंः–

1– प्रथमदृष्ट्या मामला :– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं अभिलेख दुरूस्ती बाबत् न्यायालय हाजा में वाद प्रस्तुत किया जो जैरकार है। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी का क्रय दिनांक 03.05.1979 को किया जो कि दिनांक 03.09.1979 को दस्तावेज क्रम संख्या 253/79 पर बुक संख्या 01 जिल्द संख्या 19 के पृष्ठ संख्या 203 से 206 पर पंजीकृत किया गया है। पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा खातेदारी अधिकारों का भी हस्तान्तरण हो चुका है। इसलिये प्रार्थी द्वारा पंजीकृत बैचाननामे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया है, तथा वादग्रस्त आराजी पंजीकृत बैचाननामा दिनाँक 03.09.1979 द्वारा प्रार्थी द्वारा क्रय लिए जाने से वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का क्रय दिनाँक से ही खातेदारी अधिकार निहित हो चुके हैं, परन्तु प्रश्नगत बैचाननामा के आधार पर नामांतरण नहीं होने से जमाबंदी में वर्तमान में भी विक्रेता का ही नाम चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सरहद मौजा धनेरिया पटवार हल्का [illegible] तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 169 रकबा 09–08 बीघा किस्म बारानी [illegible] प्रतिवादी भैरूलाल उर्फ भैराराम पुत्र बालूराम का नाम बतौर [illegible] दर्ज है। [illegible]कृत बैचाननामा दिनाँक 03.09.1979 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि भैरूलाल उर्फ भैराराम पुत्र बालूराम जो कि प्रतिवादी है, द्वारा खसरा नम्बर 169 रकबा 09–[illegible] बीघा की आराजी का बैचान कर दिया था। इस प्रकार प्रार्थीगण के पक्ष में पंजीकृत बैचाननामा होनें व प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी पर वर्तमान में मौके पर कब्जा काश्त होनें से प्रथम–दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:34:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

(2) सुविधा का संतुलन :- चुंकि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निहित होना साबित हुआ है तथा वादग्रस्त आराजी जरिये पंजीकृत बैचाननामा के द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में हस्तांतरित की जा चुकी है एवं प्रार्थी के कथनानुसार वादग्रस्त आराजी पर उसका लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में निहित होना साबित होता है।

3. अपूरणीय क्षति :- चुंकि उपर्युक्त दोनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित हुये है तथा भू. अभिलेख में वर्तमान में भी विक्रेता का नाम दर्ज होनें से यह पूरी संभावना है कि वह इसका पश्चातवर्ती बैचान, रहन या अन्य रीति से हस्तांतरित कर सकता हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव क्रेता एवं प्रार्थी को ही होगा अतः प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करनें की दशा में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होनें की प्रबल आशंका है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद बैचान, हस्तान्तरण न करनें हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से निरूद्ध किया जाना विधि संगत एवं आवश्यक है।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवचेन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा धनेरिया, पटवार हल्का- केकिन्दड़ा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लाम्बिया, तहसील जैतारण, जिला पाली के खसरा नम्बर 169 रकबा 09-08 बीघा किस्म बारानी दोयम का बैचान व हस्तान्तरण नहीं करें तथा वर्तमान भू-अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज.

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला-पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 31/03/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला-पाली(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:34:12 IST
Reason: SelfAttested